



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-04062022-236288
CG-DL-W-04062022-236288

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 20]

नई दिल्ली, मई 29— जून 4, 2022, शनिवार/ ज्येष्ठ 8—ज्येष्ठ 14, 1944

No. 20]

NEW DELHI, MAY 29—JUNE 4, 2022, SATURDAY/ JYAISTHA 8—JYAISTHA 14, 1944

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

(केन्द्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो)

नई दिल्ली, 27 मई, 2022

सा.का.नि. 79.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 1995 में उन बातों के सिवाए अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली गृह मंत्रालय में वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक, के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, केन्द्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2022 है।
(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर:-** पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा एवं अन्य अर्हताएं इत्यादि :-** उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **निरर्हता :-** वह व्यक्ति-
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह या विवाह की संविदा की है जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह या विवाह की संविदा की है,
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;
परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
5. **शिथिल करने की शक्ति :-** जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. **व्यावृत्ति:-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या								
(1)	(2)								
1.वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (बैलैस्टीक्स)	56* (2022)								
2. वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (जीव विज्ञान)	(* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)								
3 वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (रसायन विज्ञान एवं विष विज्ञान)	वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक के पद की प्रभाग वार स्वीकृत संख्या नीचे दी गयी है								
4. वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (दस्तावेज)	<table><tr><th>प्रभाग</th><th>वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक</th><th>कुल</th></tr><tr><td>बैलैस्टीक्स</td><td>4</td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td>जीव विज्ञान</td><td>4</td></tr></table>	प्रभाग	वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक	कुल	बैलैस्टीक्स	4		जीव विज्ञान	4
प्रभाग	वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक	कुल							
बैलैस्टीक्स	4								
जीव विज्ञान	4								
5. वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (फिंगर प्रिंट)									
6. वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक									

(न्यायालयिक मनोविज्ञान)	रसायन विज्ञान एवं विष विज्ञान	8	56	
7. वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (फोटो)	दस्तावेज	11		
8. वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (भौतिक विज्ञान)	फिंगर प्रिंट	6		
9. वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (सीरम विज्ञान)	न्यायालयिक मनोविज्ञान	5		
	फोटो	11		
	भौतिक विज्ञान	4		
	सीरम विज्ञान	3		

वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा
(3)	(4)	(5)	(6)
साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-6 (रु. 35400-112400/-) वेतन मैट्रिक्स में	चयन पद	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेश या निर्देश के अनुसार सरकारी कर्मचारी को 5 वर्ष तक की छूट) टिप्पण :- आयु सीमा निर्धारण की निर्णायक तिथि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी

सीधी भर्ती करने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं
(7)
आवश्यक अर्हताएं 1. वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (बेलैस्टीक्स) (क) (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रसायन विज्ञान या भौतिक विज्ञान या गणित या न्यायालयिक विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री; और (ii) आग्नेयास्त्र और विस्फोटक परीक्षण में एक वर्ष का अनुभव। अथवा (ख) (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रसायन विज्ञान या भौतिक विज्ञान या गणित या न्यायालयिक विज्ञान में स्नातक की डिग्री; और (ii) आग्नेयास्त्र और विस्फोटक परीक्षण में दो वर्ष का अनुभव। 2. वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (जीव विज्ञान) (क) (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से जन्तु विज्ञान या मानव विज्ञान (फिजिकल) या वनस्पति विज्ञान या जैव रसायन या आणविक जीव विज्ञान या सूक्ष्म जीव विज्ञान या न्यायालयिक विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री; और

(ii) जैविक नमूनों के परीक्षण में एक वर्ष का अनुभव।

अथवा

(ख) (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से जीव विज्ञान या मानव विज्ञान (फिजिकल) या वनस्पति विज्ञान या जैव रसायन या आणविक जीव विज्ञान या सूक्ष्म जीव विज्ञान या न्यायालयिक विज्ञान में स्नातक डिग्री; और

(ii) जैविक नमूनों के परीक्षण में दो वर्ष का अनुभव।

3. वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (रसायन एवं विष विज्ञान)

(क) (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रसायन विज्ञान या न्यायालयिक विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री; और

(ii) विभिन्न रसायनों के परीक्षण में एक वर्ष का अनुभव।

अथवा

(ख) (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रसायन विज्ञान या न्यायालयिक विज्ञान में स्नातक की डिग्री; और

(ii) विभिन्न रसायनों के परीक्षण में दो वर्ष का अनुभव।

4. वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (दस्तावेज)

(क) (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रसायन विज्ञान या भौतिक विज्ञान या न्यायालयिक विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री; और

(ii) न्यायालयिक दस्तावेज परीक्षण में एक वर्ष का अनुभव।

अथवा

(ख) (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रसायन विज्ञान या भौतिक विज्ञान या न्यायालयिक विज्ञान में स्नातक की डिग्री; और

(ii) न्यायालयिक दस्तावेज परीक्षण में दो वर्ष का अनुभव।

5. वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (फिंगर प्रिंट)

(क) (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रसायन विज्ञान या न्यायालयिक विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री; और

(ii) फिंगर प्रिंट विकास एवं पहचान में एक वर्ष का अनुभव।

अथवा

(ख) (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रसायन विज्ञान या न्यायालयिक विज्ञान में स्नातक की डिग्री; और

(ii) फिंगर प्रिंट विकास एवं पहचान में दो वर्ष का अनुभव।

6. वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (न्यायालयिक मनोविज्ञान)

(क) (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अपराध शास्त्र या मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री; और

(ii) व्यावहारिक मनोविज्ञान या अपराध शास्त्र या अपराध अन्वेषण या लाई-डिटेक्सन में एक वर्ष का अनुभव।

अथवा

- (ख) (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अपराध शास्त्र या मनोविज्ञान में स्नातक डिग्री; और
 (ii) व्यावहारिक मनोविज्ञान या अपराध शास्त्र या अपराध अन्वेषण या लाई-डिटेक्सन में दो वर्ष का अनुभव।

7. वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (फोटो)

- (क) (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री; और
 (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से फोटोग्राफी में डिग्री या कम से कम एक वर्ष की अवधि का डिप्लोमा; और
 (iii) वैज्ञानिक फोटोग्राफी सहित फोटोग्राफी में एक वर्ष का अनुभव।

अथवा

- (ख) (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विज्ञान में स्नातक डिग्री; और
 (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से फोटोग्राफी में डिग्री या कम से कम एक वर्ष की अवधि का डिप्लोमा; और
 (iii) वैज्ञानिक फोटोग्राफी सहित फोटोग्राफी में दो वर्ष का अनुभव।

8. वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (भौतिक विज्ञान)

- (क) (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से भौतिक विज्ञान या न्यायालयिक विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री; और
 (ii) स्पेक्ट्रोग्राफिक विश्लेषण, स्पेक्ट्रोफोटोमैट्रिक विश्लेषण, एक्स-रे विश्लेषण, भौतकीय संपत्ति एवं विभिन्न सामग्री (भवन सामग्री सहित) का अन्य मापन में एक वर्ष का अनुभव।

अथवा

- (ख) (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से भौतिक विज्ञान या न्यायालयिक विज्ञान में स्नातक की डिग्री; और
 (ii) स्पेक्ट्रोग्राफिक विश्लेषण, स्पेक्ट्रोफोटोमैट्रिक विश्लेषण, एक्स-रे विश्लेषण, भौतकीय सम्पत्ति एवं विभिन्न सामग्री (भवन सामग्री सहित) के अन्य मापन में दो वर्ष का अनुभव।

9. वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (सीरम विज्ञान)

- (क) (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से जन्तु विज्ञान या सूक्ष्म जीव विज्ञान या जैव रसायन या बैक्टीरियोलॉजी या न्यायालयिक विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री; और
 (ii) मनुष्य के ब्लड ग्रुपिंग एनालाइसिस और पशुओं के ब्लड स्टेनस, स्लाइवा एवं सिमन स्टेनस के परीक्षण में एक वर्ष का अनुभव।

अथवा

- (ख) (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से जन्तु विज्ञान या वनस्पति विज्ञान या न्यायालयिक विज्ञान में स्नातक डिग्री; और
 (ii) मनुष्य के ब्लड ग्रुपिंग एनालाइसिस और पशुओं के ब्लड स्टेनस, स्लाइवा एवं सिमन स्टेनस के परीक्षण में दो वर्ष का अनुभव।

टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित

जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

क्या सीधी भर्ती हेतु निर्धारित आयु एवं शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नत हुए पर भी लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो तो
(8)	(9)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष।

भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा अथवा प्रोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेसन द्वारा तथा अन्य विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशत।

(10)

1. वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (बैलैस्टीक्स)

- (i) 25 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित);
- (ii) 75 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।

2. वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (जीवविज्ञान)

- (i) 25 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित);
- (ii) 75 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।

3. वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (रसायन विज्ञान एवं विष विज्ञान)

- (i) 25 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित);
- (ii) 75 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।

4. वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (दस्तावेज)

- (i) 25 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित);
- (ii) 75 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।

5. वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (फिंगर प्रिंट)

- (i) 25 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित);
- (ii) 75 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।

6. वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (न्यायालयिक मनोविज्ञान)

- (i) 25 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित);

सहित);

(ii) 75 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।

7. वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (फोटो)

(i) 25 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित);

(ii) 75 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।

8. वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (भौतिक विज्ञान)

(i) 25 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित);

(ii) 75 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।

9. वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (सीरम विज्ञान)

(i) 33 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित);

(ii) 67 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।

ग्रेड जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन के मामले में, प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाना है।	यदि कोई विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो इसकी संरचना क्या है।	वे परिस्थितियाँ जिनमें संघ लोक सेवा आयोग से नियुक्ति करने में परामर्श लिया जाना है।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति प्रयोगशाला सहायक जिन्होंने स्तर-5 वेतनमान (रू. 29200-92300/-) में इस ग्रेड में 6 वर्षों की नियमित सेवा तथा सुसंगत क्षेत्र में दो-चार सप्ताह का सफल प्रशिक्षण को पूर्ण किया हो। टिप्पण- जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उसके द्वारा कि गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली	निम्नलिखित से मिलकर बनने वाली समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार हेतु) :- 1. संयुक्त निदेशक, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो - अध्यक्ष 2. निदेशक, केंद्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो - सदस्य 3. उप सचिव, गृह मंत्रालय - सदस्य 4. उप निदेशक (प्रशासन) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो - सदस्य निम्नलिखित से मिलकर बनने वाली समूह 'ख' विभागीय पुष्टिकरण	

हो। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) : केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या स्वायत्तशासी या सांविधिक संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या मान्यता प्राप्त विश्विद्यालय या शोध संस्थान के अधिकारी- (क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित तौर पर समकक्ष पद पर हो या (ii) मूल संवर्ग या विभाग में स्तर-5 में वेतनमान (रु. 29200-92300/-) या समकक्ष पद पर 6 वर्षों की नियमित सेवा के साथ; तथा (ख) सीधी भर्ती के लिए स्तंभ (7) के अन्तर्गत निर्धारित शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव रखते हो। टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	समिति (पुष्टिकरण पर विचार हेतु):- 1. संयुक्त निदेशक, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो - अध्यक्ष 2. निदेशक, केंद्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो - सदस्य 3. उप सचिव, गृह मंत्रालय - सदस्य 4. उप निदेशक, (प्रशासन) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो - सदस्य	
--	--	--

[फा. सं. 25016/26/2016-डब्ल्यू एस-III]

ए.के. मित्रा, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS**(Central Forensic Science Laboratory, Central Bureau of Investigation)**

New Delhi, the 27th May, 2022

G.S.R. 79.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Forensic Science Laboratory, Central Bureau of Investigation, New Delhi (Group 'B' posts) Recruitment Rules 1995, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Senior Scientific Assistants, in the Ministry of Home Affairs, Central Forensic Science Laboratory, Central Bureau of Investigation, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Central Forensic Science Laboratory, Central Bureau of Investigation, Senior Scientific Assistant, Group 'B' Non-Gazetted post Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in pay matrix.- The number of the posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.- No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of posts.		
(1)	(2)		
1. Senior Scientific Assistant (Ballistics).	56*		
2. Senior Scientific Assistant (Biology).	(2022)		
3. Senior Scientific Assistant (Chemistry and Toxicology).	(*Subject to variation dependent on workload)		
4. Senior Scientific Assistant (Documents).	The division wise sanctioned strength of post Senior Scientific Assistant is given below.		
5. Senior Scientific Assistant (Fingerprint).	Division	Senior Scientific Assistant	Total
6. Senior Scientific Assistant (Forensic Psychology).	Ballistics	4	56
7. Senior Scientific Assistant (Photo).	Biology	4	
8. Senior Scientific Assistant (Physics).	Chemistry and Toxicology	8	
9. Senior Scientific Assistant (Serology).	Documents	11	
	Fingerprint	6	
	Forensic Psychology	5	
	Photo	11	
	Physics	4	
	Serology	3	

Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(3)	(4)	(5)	(6)
General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-6 (Rs. 35400-112400/-) in the pay matrix.	Selection post.	Not exceeding 30 years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	
(7)	
Essential Qualifications: 1. Senior Scientific Assistant (Ballistics): (a) (i) Master of Science degree in Chemistry or Physics or Mathematics or Forensic Science from a recognised University or Institute; and (ii) one-year experience in examining the firearms and explosives. OR (b) (i) Bachelor of Science degree in Physics or Chemistry or Mathematics or Forensic Science from a recognised University or Institute; and (ii) two-year experience in examining the firearms and explosives. 2. Senior Scientific Assistant (Biology): (a) (i) Master of Science degree in Zoology or Anthropology (Physical) or Botany or Biochemistry or Molecular Biology or Microbiology or Forensic science from a recognised University or Institute; and (ii) one-year experience in examining the biological specimens. OR (b) (i) Bachelor of Science degree in Zoology or Anthropology (Physical) or Botany or Biochemistry or Molecular Biology or Microbiology or Forensic science from a recognised University or Institute; and (ii) two-year experience in examining the biological specimens. 3. Senior Scientific Assistant (Chemistry and Toxicology): (a) (i) Master of Science degree in Chemistry or Forensic Science from a recognised University or Institute; and (ii) one-year experience in examining various chemicals. OR (b) (i) Bachelor of Science degree in Chemistry or Forensic Science from a recognised University or Institute; and (ii) two-year experience in examining various chemicals. 4. Senior Scientific Assistant (Documents): (a) (i) Master of Science degree in Chemistry or Physics or Forensic Science from a recognised University or Institute; and (ii) one-year experience in Forensic Document Examination. OR (b) (i) Bachelor of Science degree in Physics or Chemistry or Forensic Science from a recognised University or Institute; and (ii) two-year experience in Forensic Document Examination. 5. Senior Scientific Assistant (Fingerprint): (a) (i) Master of Science degree in Chemistry or Forensic Science from a recognised University or Institute;	

and.

(ii) one-year experience in development and identification of fingerprints.

OR

(b) (i) Bachelor of Science degree in Chemistry or Forensic Science from a recognised University or Institute; and

(ii) two-year of experience in development and identification of fingerprints.

6. Senior Scientific Assistant (Forensic Psychology):

(a) (i) Master's degree in Criminology or Psychology from a recognised University or Institute; and

(ii) one-year experience in applied Psychology or Criminology or Crime Investigation or Lie Detection.

OR

(b) (i) Bachelor's degree in Criminology or Psychology from a recognised University or Institute; and

(ii) two-year experience in applied Psychology or Criminology or Crime Investigation or Lie Detection.

7. Senior Scientific Assistant (Photo):

(a) (i) Master of Science degree from a recognised University or Institute; and

(ii) Degree in Photography or Diploma of at least one-year duration in Photography from a recognised University or Institute; and

(iii) one-year experience in Photography including Scientific Photography.

OR

(b) (i) Bachelor of Science degree from a recognised University or Institute; and

(ii) Degree in Photography or Diploma of at least one-year duration in Photography from a recognised University or Institute; and

(iii) two-year experience in Photography including Scientific Photography.

8. Senior Scientific Assistant (Physics):

(a) (i) Master of Science degree in Physics or Forensic Science from a recognised University or Institute; and

(ii) one-year experience in spectrographic analysis, spectrophotometric analysis, X ray analysis and Physical properties and other measurements of various materials (including building material).

OR

(b) (i) Bachelor of Science degree in Physics or Forensic Science from a recognised University or Institute; and

(ii) two-year experience in spectrographic analysis, spectrophotometric analysis, X ray analysis and Physical properties and other measurements of various materials (including building material).

9. Senior Scientific Assistant (Serology):

(a) (i) Master of Science degree in Zoology or Microbiology or Biochemistry or Bacteriology or Forensic Science from a recognised University or Institute; and

(ii) one-year experience in blood grouping analysis of human and animal blood stains, saliva and semen stains.

OR

(b) (i) Bachelor of Science degree in Zoology or Botany or Forensic Science from a recognised University or Institute; and

(ii) two-year experience in blood grouping analysis of human and animal blood stains, saliva and semen stains.

Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority for reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified.

Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority for reasons to be recorded in writing in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion of that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisites experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(8)	(9)
Not applicable.	Two years.

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(10)
1. Senior Scientific Assistant (Ballistics): (i) 25 percent by promotion failing which by deputation (including short-term contract); (ii) 75 percent by direct recruitment. 2. Senior Scientific Assistant (Biology): (i) 25 percent by promotion failing which by deputation (including short-term contract); (ii) 75 percent by direct recruitment. 3. Senior Scientific Assistant (Chemistry and Toxicology): (i) 25 percent by promotion failing which by deputation (including short-term contract); (ii) 75 percent by direct recruitment. 4. Senior Scientific Assistant (Documents): (i) 25 percent by promotion failing which by deputation (including short-term contract); (ii) 75 percent by direct recruitment. 5. Senior Scientific Assistant (Fingerprint): (i) 25 percent by promotion failing which by deputation (including short-term contract); (ii) 75 percent by direct recruitment. 6. Senior Scientific Assistant (Forensic Psychology): (i) 25 percent by promotion failing which by deputation (including short-term contract); (ii) 75 percent by direct recruitment. 7. Senior Scientific Assistant (Photo) (i) 25 percent by promotion failing which by deputation (including short-term contract); (ii) 75 percent by direct recruitment. 8. Senior Scientific Assistant (Physics) (i) 25 percent by promotion failing which by deputation (including short-term contract); (ii) 75 percent by direct recruitment. 9. Senior Scientific Assistant (Serology) (i) 33 percent by promotion failing which by deputation (including short-term contract); (ii) 67 percent by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion Laboratory Assistant in level 5 in the pay matrix (Rs. 29200- 92300/-) with six years' of regular service in the grade and having successfully completed two-four weeks' training in the relevant field. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation (including short-term contract): Officers under the Central Government or State Government or Union territory administration or autonomous or statutory organization or public sector undertakings or recognised university or research institution,- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years' regular service in post in level 5 in the pay matrix (Rs. 29200- 92300/-) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the central government shall ordinarily not exceed three years.	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Joint Director, Central Bureau of Investigation - Chairman; 2. Director, Central Forensic Science Laboratory, Central Bureau of Investigation - Member; 3. Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs - Member; 4. Deputy Director (Administration) Central Bureau of Investigation - Member. Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Joint Director, Central Bureau of Investigation - Chairman; 2. Director, Central Forensic Science Laboratory, Central Bureau of Investigation - Member; 3. Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs - Member; 4. Deputy Director (Administration) Central Bureau of Investigation - Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.

[F. No. 25016/26/2016-WS-III]

A. K. MITRA, Under Secy.

जनजातीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 30 मई, 2022

सा.का.नि. 80.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनजातीय कार्य मंत्रालय में स्टाफ कार ड्राइवर (सामान्य ग्रेड) की भर्ती की प्रक्रिया को विनियमित करते हुए निम्नलिखित नियमों को एतद्वारा बनाते हैं, नामतः :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** - (1) इन नियमों को 'जनजातीय कार्य मंत्रालय (स्टाफ कार ड्राइवर (सामान्य ग्रेड)) समूह 'ग' पर भर्ती नियमावली, 2022' कहा जाए।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वेतन मैट्रिक्स में वर्गीकरण तथा स्तर (लेवल)** - उक्त पदों की संख्या, तत्संबंधी संलग्न वेतन मैट्रिक्स में उनका वर्गीकरण और स्तर, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथा निर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा तथा अर्हताएं आदि** - उक्त पदों की भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं और उससे संबंधित अन्य मामले उपर्युक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथा निर्दिष्ट होंगे।

4. **निरर्हता** - कोई भी व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे किसी व्यक्ति के साथ विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है जिसकी पत्नी/पति जीवित है, अथवा

(ख) जिसकी पत्नी/पति जीवित है ने किसी भी व्यक्ति के साथ विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है, उक्त पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार, यदि संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह वाले अन्य पक्ष के लिए लागू वैयक्तिक कानून के तहत मान्य है और उस व्यक्ति के द्वारा ऐसा कृत्य करने के अन्य कारण हैं तो किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने में छूट प्रदान कर सकती है।

5. **प्रारंभिक संघटन/गठन** - स्टाफ कार ड्राइवर के पद का पदधारी, जो इन नियमों के प्रारंभ होने से पहले उक्त पद पर नियुक्त किया गया था, इन नियमों के तहत नियुक्त किया गया माना जाएगा और इन नियमों के लागू होने से पहले उक्त पद पर उसके द्वारा की गई सेवाओं को अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति हेतु पात्रता के लिए ध्यान में रखा जाएगा।

6. **छूट देने की शक्ति** - जहाँ केन्द्रीय सरकार का यह विचार है कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो आदेशानुसार, कारणों को लिखित में दर्ज करते हुए किसी भी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधान के तहत छूट दी जा सकेगी।

7. **व्यावृत्ति** - इन नियमों में से कोई भी इस संबंध में समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पूर्व सैनिकों और अन्य विशेष श्रेणी के व्यक्तियों के लिए प्रदान किए जाने वाले आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगा।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में वेतन लेवल।	क्या चयन पद है या अप्रवरण पद।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
स्टाफ कार चालक	2*(2022)	सामान्य केन्द्रीय सेवा,	लेवल 2	लागू नहीं।

(सामान्य ग्रेड)।	*कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय।	अराजपत्रित, समूह 'ग, अलिपिकवर्गीय'	(19900-63200 रुपये)।	
------------------	----------------------------------	------------------------------------	----------------------	--

सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा।	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	क्या सीधी भर्तियों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत व्यक्तियों के मामलों में लागू होगी अथवा नहीं।
(6)	(7)	(8)
18-27 वर्ष (केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 40 वर्ष तक छूट) नोट: भारत में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि आयु सीमा निर्धारित करने की तिथि होगी (और असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लाहौल और स्पीति जिला और हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के पांगी सब डिवीजन, संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के लोगो के लिए निर्धारित अंतिम तिथि नहीं होगी)।	अनिवार्य: i. 10 वीं कक्षा में उत्तीर्ण; ii. मोटर कारों के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना; iii. मोटर तंत्र (मेकेनिजम) का ज्ञान (उम्मीदवार को वाहन में मामूली खराबी को दूर करने में सक्षम होना चाहिए); और iv. मोटर कार चलाने का कम से कम तीन साल का अनुभव हो। वांछनीय: होमगार्ड या सिविल वालंटियर के रूप में तीन वर्ष की सेवा। - नोट 1- सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर अन्यथा सुअर्हता प्राप्त उम्मीदवारों के मामले में अनुभव संबंधी योग्यता में छूट दी जा सकती है। नोट 2- अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर अनुभव के संबंध में अर्हता में छूट दी जा सकती है, यदि चयन के किसी भी स्तर पर, सक्षम प्राधिकारी की राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्ति को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	लागू नहीं।

परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामलों में, वह ग्रेड जिससे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है
(9)	(10)	(11)
सीधी भर्ती या पुनर्नियुक्ति के	प्रतिनियुक्ति/आमेलन जिसके न	प्रतिनियुक्ति / आमेलन:

लिए दो वर्ष।	होने पर सीधी भर्ती द्वारा। सशस्त्र बलों के कार्मिकों के लिए: प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन।	जनजातीय कार्य मंत्रालय में वेतन मैट्रिक्स में स्तर -1 (रु। 18000-56900) में नियमित डिस्पैच राइडर और (ग्रुप 'ग') और अन्य ग्रुप 'ग' कर्मचारियों में से, जिनके पास मोटर कार चलाने की क्षमता का आकलन करने के लिए ड्राइविंग टेस्ट के आधार पर मोटर कारों को चलाने (ड्राइव करने) के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस है, जिसके न होने पर नियमित आधार पर डिस्पैच राइडर का पद धारण करने वाले कर्मचारी या केन्द्र सरकार के अन्य मंत्रालयों में वेतन मैट्रिक्स में लेवल -1 (18000-56900 रुपये) में नियमित समूह 'ग' कर्मचारियों में से जो कॉलम (7) में उल्लिखित आवश्यक योग्यताओं को पूरा करते हैं। सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन: ऐसे सशस्त्र बल कार्मिक जो सेवानिवृत्त होने वाले हैं या जिन्हें एक वर्ष की अवधि के भीतर रिजर्व में स्थानांतरित किया जाना है और जिनके पास निर्धारित आवश्यक अनुभव और योग्यताएं हैं, पर भी विचार किया जाएगा और ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति दी जाएगी, जिस दिन उन्हें सशस्त्र बल से रिलीज किया जाना है और उसके बाद उन्हें पुनर्नियोजन पर जारी रखा जा सकता है। नोट 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, आमतौर पर तीन साल से अधिक नहीं होगी। नोट 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।
---------------------	---	---

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है।	ऐसी परिस्थितियां जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण पर विचार करने के लिए) – जिसमें निम्न शामिल हैं: 1. उप सचिव या निदेशक स्थापना, जनजातीय कार्य मंत्रालय -अध्यक्ष; 2. अवर सचिव (स्थापना), जनजातीय कार्य मंत्रालय -सदस्य, और 3. अवर सचिव (वित्त), जनजातीय कार्य मंत्रालय -सदस्य।	लागू नहीं।

[फा. सं. 12018/1/2021-स्था.]

रीमा शर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

New Delhi, the 30th May, 2022

G.S.R. 80.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Staff Car Driver (Ordinary Grade) in the Ministry of Tribal Affairs, namely :—

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the Ministry of Tribal Affairs (Staff Car Driver (Ordinary Grade), Group 'C' post Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in pay matrix.—The number of the post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment to the said post, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification. —No person,—

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
- shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Initial Constitution.— The incumbent of the post of Staff Car driver who was appointed to the said post prior to the commencement of these rules shall be deemed to have been appointed under these rules and the services rendered by him in the said post before such commencement shall be taken into account for deciding this eligibility for promotion to the next higher grade.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special category of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Pay Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Staff Car Driver (Ordinary Grade).	2*(2022) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Non- Gazetted, Group 'C, Non-Ministerial	Level 2 (Rs.19900-63200).	Not applicable.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.
(6)	(7)	(8)
18-27 years (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or	Essential: i. Pass in 10 th Standard;	Not applicable.

orders issued by the Central Government.) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	ii. possession of a valid driving license for motor cars; iii. knowledge of motor mechanism (the candidate should be able to remove minor-defects in vehicle); and iv. experience of driving a motor car for at least three years. Desirable: Three years service as Home Guard or Civil Volunteer. — Note 1. — The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority. The case of candidates otherwise well qualified. Note 2. — The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that the sufficient number of candidates with requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.
---	---

Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades form which promotion or deputation / absorption is to be made
(9)	(10)	(11)
Two years for direct recruits or re-employed.	Deputation/absorption failing which by direct recruitment. For Armed Forces Personnel: Deputation/re-employment.	Deputation/Absorption: From amongst the regular Dispatch Rider & (Group 'C') and other Group 'C' employees in level-1 (Rs. 18000-56900) in the pay matrix in the Ministry of Tribal Affairs who possess valid driving license for motor cars on the basis of a driving test to assess the competence to drive motor cars, failing which from amongst officials holding the post of Dispatch Rider on regular basis or regular Group 'C' employees in level-1 (Rs. 18000-56900) in the pay matrix in other Ministries of the Central Government who fulfill the necessary qualifications as mentioned in column (7). Deputation/re-employment for Armed Forces Personnel: The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered and such persons shall be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces and thereafter they may be continued on re-employment. Note 1: Period of deputation, including period of deputation in another ex-cadre post, held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

		Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.
If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.		Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)		(13)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering Confirmation)-consisting of : 1. Deputy Secretary or Director Establishment, Ministry of Tribal Affairs -Chairperson; 2. Under Secretary (Establishment), Ministry of Tribal Affairs-Member, and 3. Under Secretary (Finance), Ministry of Tribal Affairs -Member.		Not applicable.

[F. No. 12018/1/2021-Estt.]

REEMA SHARMA, Under Secy.